संख्या– 4988/8–3–2006–05महा./2005

प्रेषक,

के.एल. मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

2– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ.प्र.।

3– नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2006

विषय : नगरों की पुनरीक्षित की जा रही महायोजनाओं में परिवर्तित कर समायोजित/निर्धारित भू–उपयोगों के सम्बंध में भू–उपयोग परिवर्तन की उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में वर्णित प्रक्रिया का पालन न करने एवं ऐसे भू–उपयोगों से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि नगरों की पुनरीक्षित की जा रही महायोजनाओं में परिवर्तित कर समायोजित/निर्धारित भू–उपयोगों के सम्बंध में भू–उपयोग परिवर्तन की उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 की प्रक्रिया का पुनः पालन करने विषयक शर्त आरोपित कर दिये जाने से महायोजना प्रस्तावों के त्वरित कियान्वयन में कठिनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त महायोजनाओं पर जन सामान्य से सुझाव पूर्व में ही आमंत्रित कर लिए जाते हैं ऐसी स्थिति में पुनः भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता न होने का बिन्दु विकास प्राधिकरणों द्वारा उठाया गया है। महायोजना में परिवर्तित कर निर्धारित/समायोजित भू–उपयोगों के सम्बंध में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता न होने का बिन्दु भी समय–समय पर उठाया जाता रहा है।

2– उपर्युक्त अंकित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :–

(1) *पुनरीक्षित महायोजनाओं में परिवर्तित कर समायोजित/निर्धारित* भू–उपयोगों के सम्बंध में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उपर्युक्त उप प्रस्तर–(1) में उल्लिखित भू–उपयोगों के सम्बंध में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता नहीं बनती है और तद्नुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का आरोपण ऐसे भू–उपयोगों के लिए नहीं किया जायेगा।

3– मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01.01.2005 को एवं उसके उपरान्त शासन द्वारा अनुमोदित सभी महायोजनाओं पर लागू होगी और महायोजना में परिवर्तित कर समायोजित भू–उपयोगों के जिन प्रकरणों में उक्त तिथि अथवा उसके उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है उसे प्राधिकरण द्वारा सम्बंधित पक्ष को वापस किया जाएगा।

4– महायोजना में परिवर्तित कर निर्धारित/समायोजित भू–उपयोगों के अतिरिक्त अन्य समस्त आवेदित भू–उपयोग परिवर्तनों के लिए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होगा और शासनादेश के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना होगा।

कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.एल. मीना)

सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र., लखनऊ।

आज्ञा से

(शिव जनम चौधरी)

अनुसचिव